न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3284–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–06–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी भीकनगांव जिला खरगोन के प्रकरण कमांक 59/2007–08/अ–27

.....

राधेश्याम पिता रामनारायण ब्राम्हण
निवासी खुडगॉव तहसील भीकनगांव
जिला खरगोन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–सुरेश पिता शंकरलाल ब्राम्हण

2–सुभाष पिता शंकरलाल ब्राम्हण

3–दिनेश पिता शंकरलाल ब्राम्हण

4–सजनबाई बेवा शंकरलाल ब्राम्हण

5–ज्योति पिता शंकरलाल ब्राम्हण

6–सुंदरलाल पिता रामनारायण ब्राम्हण

7–नानुराम पिता रामनारायण ब्राहम्ण

सभी निवासी खुडगांव तहसील भीकनगांव जिला खरगोन

..... अनावेदकगण

.....

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/10/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी भीकनगांव जिला खरगौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 7 व अनावेदक कमांक 8 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष ग्राम खुडगांव तहसील भीकनगांव स्थित भूमि सर्वे नम्बर 79 रकवा 2.76 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 59/अ–27/2007–08 दर्ज किया जाकर दिनांक 18–3–2008 को बटवारा आदेश पारित किया गया । उक्त बटवारे के संबंध में अनावेदक कमांक 3 द्वारा शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर कि वह प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार है परन्तु उसे भूमि में हिस्सा नहीं दिया गया है, तहसीलदार द्वारा दिनांक 25–6–2014 को पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–6–14 के आदेश पारित कर संहिता की धारा 51(1)(एक) के तहत तहसीलदार के प्रकरण कमांक 59/अ–27/07–08 में पारित आदेश दिनांक 18–3–2008 के विरूद्ध पुनर्विलोकन अनुमति प्रदान की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एव मौखिक तर्क में मुख्य रूप से से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा के द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने के पूर्व प्रार्थी को प्रकरण में सूचना पत्र दिये बिना ही एक तरफा कार्यवाही करते हुये अनुमति दिये जाने बावत् आदेश पारित किया है, जो अवैधानिक है क्योंकि पुनर्विलोकन के प्रकरण में दूसरे पक्ष को सुनकर ही अनुमति पर विचार किया जा सकता है ।

(2) तहसीलदार के द्वारा स्वमेव पुनर्विलोकन की जो कार्यवाही की जा रही है वह असत्य शिकायत के आधार पर की जा रही है । उक्त कार्यवाही अवधि बाह्य होकर एक पक्ष को फायदा पहुॅचाने की नियत से की जा रही है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश को पुनर्विलोकन किये जाने का ऐसा कोई ठोस कारण भी दर्शित नहीं किया गया है वैसे भी सहमति के आधार पर पारित आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई भी साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त आदेश को पुनर्विलोकित किया जाना आवश्यक है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक को बगैर सुने आदेश पारित किया गया है, ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश अधिकारिता बाह्य होने से निरस्त होने योग्य है तथा अधिकारिता बाह्य आदेश के विरूद्ध परिसीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

तर्क के समर्थन में 1991 आरएन 290, 2009 आरएन 96, 1978 आरएन 222, 2011 आरएन 186, 2005 आरएन 148 एवं 2000 आरएन 76 का उल्लेख किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक कमांक 1, 2, 3 व 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तहसीलदार द्वारा मात्र 3 पेशियों में बटवारा आदेश पारित कर दिया गया है और अनावेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई । इस तरह तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने नियमों का पालन नहीं किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई, जिसे देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) संहिता की धारा 51(1)(क) में स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी पूर्व में पारित किये गये आदेश को वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेगा । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 51(1)(एक) तहत पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है और तहसीलदार द्वारा विधिवत् अनुमति लेकर कार्यवाही की जा रही है जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है ।

(3) तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है जबकि अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 द्वारा सहमति पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं और आवेदक द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कराये गये हैं, क्योंकि फॉरेसिंक लैब से जॉच कराई जाने पर जॉच रिपोर्ट में हस्ताक्षर फर्जी पाये गये हैं । तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण का नाम बिना उन्हें सूचना दिये सहमति के आधार पर कम करने में विधि की गंभीर भूल की गई है और पटवारी द्वारा भी फर्द बटांन में अनावेदकगण के नाम कम करने में गंभीर अनियमिता की गई है । पटवारी द्वारा गलत तर्को से अनावेदकगण का नाम काटे जाने

पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है । अतः इस आधार पर ही आवेदक की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) तहसीलदार द्वारा थाना प्रभारी भीकनगांव को पत्र कमांक 2659/रीडर/14 दिनांक 26–9–14 से प्रमाणित दस्तावेजों को संलग्न कर कूटरचित सहमति लेख तैयार करने वाले के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने हेतु लिखा गया है, चूँकि एफ.आई. आर. दर्ज न हो, इसलिये यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त की जाये । तहसीलदार का आदेश संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के विपरीत होने से उसका पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णत विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पूर्व में प्रकरण कमांक 59/अ–27/07–08 में दिनांक 18–3–2008 को सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित करते हुये सुन्दरलाल, राधेश्याम एवं नानूराम के मध्य बटवारा किया जाकर शेष सहखातेदारों के नाम कम कर दिये गये, तत्पश्चात् अनावेदक कमांक 3 द्वारा कलेक्टर को इस आशय की शिकायत की गई कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बटवारे में न तो किसी प्रकार की सहमति दी गई है और न ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं । आवेदक द्वारा फर्जी सहमति पत्र तैयार कर बटवारा आदेश पारित करा लिया गया है जो निरस्त किया जाये । साथ में हस्ताक्षर विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई जिसमें सहमति पत्र पर किये गये हस्ताक्षर फर्जी पाये गये है । अतः नायब तहसीलदार द्वारा पूर्व में पारित बटवारा आदेश दिनांक 18–3–08 के पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण भेजा गया और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–6–14 को पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में फर्जी दस्तावेज के आधार पर सहखातेदारों के नाम कम किये गये है । वैसे भी संहिता की धारा 178 के अंतर्गत सहखातेदार के मध्य भूमि का बटवारा किये जाने का प्रावधान है किसी का नाम कम अथवा बढाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार द्वारा पूर्णतः अवैधानिक बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसे किसी भी समय पुनः खोला जा सकता है और इसके लिये किसी प्रकार की समय सीमा का बंधन नहीं है । इस

संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क विचार किये जाने योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथमदृष्टया तहसीलदार का आदेश विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण होने संबंधी ठोस आधार उपलब्ध था । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त आवसर उपलब्ध है । इस प्रकार पुनर्विलोकन की अनुमति में आवेदक को नहीं सुने जाने संबंध तकनीकी आधार पर तहसीलदार का पूर्णतः अवैधानिक आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी भीकनगांव जिला खरगौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–06–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर